



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 08/2026/D-357

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 317520 दिनांक 23/07/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Sub Division and Reconstitution जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Manju Sharma W/o ABHISHEK SHARMA	श्री राकेश वाजावत एवं श्रीमती चन्दा वाजावत, श्रीमती मिथलेश कुमारी गर्ग एवं श्रीमती उमा देवी	3, 4	444.44 SQ. YARD, 498.48 SQ. YARD	Private	RADHA NIKUNJ-B	Sub Division and Reconstitution	आवेदक श्रीमती मंजू शर्मा पत्नी श्री अभिषेक शर्मा द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर निजी खातेदारी की योजना राधा निकुंज बी के भूखण्ड संख्या 3 क्षेत्रफल 444.44 व00ग एवं भूखण्ड संख्या 4 क्षेत्रफल 498.48 व0ग0 का भूखण्ड संख्या 3-4 कुल क्षेत्रफल 942.92 व0ग0 में पुनर्गठन किये जाने हेतु आवेदन किया गया है। निजी खातेदारी की योजना राधा निकुंज बी के भूखण्ड संख्या 3 क्षेत्रफल 444.44 व00ग का फ्री होल्ड पट्टा श्री राकेश वाजावत एवं श्रीमती चन्दा वाजावत के नाम जारी किया गया। तत्पश्चात् इनके



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

								द्वारा दिनांक 12.06.2023 को जरिये रजि विक्रय पत्र के माध्यम से उक्त भूखण्ड का बैचान श्री विष्णु डागा को किया गया तत्पश्चात् इनके द्वारा दिनांक 28.07.2026 को जरिये रजि विक्रय पत्र के माध्यम से उक्त भूखण्ड का बैचान श्रीमती मंजू शर्मा पत्नी श्री अभिषेक शर्मा को किया गया इसी प्रकार निजी खातेदारी की योजना राधा निकुंज बी के भूखण्ड संख्या 4 क्षेत्रफल 498.48 व0ग0 का फ्री होल्ड पट्टा श्रीमती मिथलेश कुमारी गर्ग एवं श्रीमती उमा देवी के नाम जारी किया गया। तत्पश्चात् इनके द्वारा दिनांक 20.07.2026 को जरिये रजि विक्रय पत्र के माध्यम से उक्त भूखण्ड का बैचान श्रीमती मंजू शर्मा पत्नी श्री अभिषेक शर्मा को किया गया।
--	--	--	--	--	--	--	--	---

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Sub Division and Reconstitution जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

प्रतिलिपि:-

1. Manju Sharma W/o ABHISHEK SHARMA को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |